


:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना (म0प्र0) ::
--: खुली निविदा आमंत्रण सूचना ::--

न्यायिक स्थापना गुना के केन्द्रीय अभिलेखागार में निराकृत प्रकरणों के अभिलेख को सुरक्षित रखे जाने हेतु रैक एवं न्यायालय एवं अनुभागों में संस्थित प्रिन्टर एवं यू.पी.एस को व्यवस्थित रखे जाने हेतु रैक स्टूल क्रय/बनवाये जाने बावत् सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक व्यापारी/विक्रेता/संस्था/निर्माता अपनी निविदायें सीलबंद लिफाफे में पूर्ण जानकारी सहित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय गुना में दिनांक 17.10.2024 को सांय 05.00 बजे तक आवक-जावक शाखा में जमा कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से रैक/रैक स्टूल प्रदाय हेतु निविदा लिखा जाना आवश्यक है। निविदायें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना के नाम से प्रस्तुत की जावेगी। निविदा की शर्तें एवं सम्पूर्ण जानकारी म0प्र0 उच्च न्यायालय की बेवसाइट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय गुना की बेवसाइट www.districts.ecourts.gov.in/guna पर भी उपलब्ध है, जहां से सामग्री का पूर्ण विवरण एवं शर्तें डाउनलोड कर अवलोकन कर सकते हैं।



कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
✦ गुना (म0प्र0)

:: कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना (म0प्र0) ::
--:: निविदा विज्ञापन ::--

न्यायिक स्थापना गुना के केन्द्रीय अभिलेखागार में निराकृत प्रकरणों के अभिलेख को सुरक्षित रखे जाने हेतु रैक एवं न्यायालय एवं अनुभागों में संस्थित प्रिन्टर एवं यू.पी.एस. को व्यवस्थित रूप से रखने जाने हेतु स्टूल रैक नीचे वर्णित निर्धारित माप अनुसार क्रय करने/बनवाये जाने हेतु रैक निर्माणकर्ता संस्थानों एवं विक्रयकर्ता संस्थानों से दरें निम्नांकित शर्तों पर आमंत्रित की जाती है :-

स.क्र.	सामग्री का नाम	नग	साइज	स्पेशिफिकेशन
1	आयरन रैक	40	ऊंचाई 7 फीट, चौड़ाई 5 फीट, गहराई 18 इंच	1. उच्च गुणवत्ता के 1.5 Inch x 1.5 Inch के वर्गाकार पाईप पर रैक 2. शेल्फ में 1Inch x 1 Inch का वर्गाकार पाईप का उपयोग प्रत्येक 03 इंच की दूरी पर 3. 02 शेल्फ के मध्य 1.5 feet की दूरी 4. कलर सहित।
2	रैक स्टूल	60	ऊंचाई 1 फीट, चौड़ाई 2.25 फीट, गहराई 1 फीट	1. उच्च गुणवत्ता के 1 Inch x 1Inch के वर्गाकार पाईप पर स्टूल रैक 2. बॉटम और टॉप पर 9 एम.एम. की प्लार्डबुड का उपयोग 3. कलर सहित।

--::निविदा शर्तें::--


1. सीलबंद निविदायें प्रधान जिला न्यायाधीश, गुना के नाम से दिनांक 17.10.2024 को सांय 05.00 बजे तक बंद लिफाफे में डाक से अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हो जाना चाहिये। उक्त निविदा जिला न्यायालय में गठित क्रय समिति द्वारा खोली जावेगी।
2. नियत दिनांक एवं समय के पश्चात् निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. इच्छुक व्यापारी/विक्रेता/संस्था/निर्माता जिला न्यायालय के केन्द्रीय अभिलेखागार का निरीक्षण करने के पश्चात् निविदा प्रस्तुत कर सकता है।
4. आदेशानुसार निर्मित सामग्री न्यायालय तक पहुंचाये जाने का समस्त दायित्व निविदाकार का होगा।
5. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को निरस्त कर सकते हैं।
6. निविदा में वर्णित सामग्री किस कम्पनी द्वारा निर्मित है (अथवा किस कम्पनी की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है) का सम्पूर्ण विवरण (कम्पनी का नाम, साइज, गेज, इत्यादि) अंकित करना अनिवार्य है।
7. निविदा पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व सील होना आवश्यक है।
8. सामग्री में आवश्यकतानुसार कमी अथवा बढ़ौत्तरी की जा सकती है।
9. निविदाकर्ता द्वारा सामग्री स्वीकृत दर एवं मात्रा पर प्रदाय करने हेतु बाध्य होगा।
10. प्रदाय की सामग्री निर्धारित मापदण्ड की न होने पर अथवा उससे निम्न स्तर की

होने की दशा में सामग्री निविदाकर्ता को अपने व्यय पर वापस उठाना होगा तथा निर्धारित माप के अनुसार सामग्री प्रदाय करनी होगी।

11. निविदा से संबंधित शर्त एवं प्रदाय किये जाने वाले सामान की सूची उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर की बेवसाइट www.mphc.gov.in जिला न्यायालय गुना की बेवसाइट www.districts.ecourts.gov.in/guna से डाउनलोड की जा सकती है।

12. कय आदेश प्राप्त होने पर सामग्री निर्धारित अवधि में प्रदाय कना आवश्यक होगा।

13. निविदाकर्ता, वाणिज्यकर/जी.एस.टी. पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।



वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

गुना (म०प्र०)